## भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय कर्मयोगी भवन, सैक्टर-10 ए ,चतुर्थ तल, ब्लॉक-2, गांधीनगर, गुजरात-382 010



## Government of India Ministry of Mines Indian Bureau of Mines

Office of the Regional Controller of Mines Karmyogi Bhawan, 4th Floor, Block-2, Sector 10-A, Gandhinagar (Gujarat)-382010

ईमेल:gandhinagar.ibm@gmail.com

Mine Code-07GUJ07031

Date-04/9/2017

मिसिल संख्या : GUJ/JAM/BXT-16/Part-II

प्रेषित : M/s Gujarat Mineral Development Cop. Ltd.

(A Govt.of Gujarat Ent.)

Khanij Bhavan, 132 Ft.Ring Road, Nr.University Ground, Vastrapur,

Ahmdabad-380052.

विषय:- गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले, कल्याणपुर तालुका, मेवासा गाँव में स्थित आपकी बाक्साइट खदान, सर्वे नंबर 437 & 396, क्षेत्रफल 186.96 हेक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन होने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त खदान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षर द्वारा दिनांक 03/8/2017 AN को खदान मैनेजर श्री एन॰ बी॰ पटेल की उपस्थिति में किया गया था तथा खनिज संरक्षण एंव विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है।

का उल्लघन हुआ है ।	
नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यूरो
<b>-</b> 1 11(1)	No holder of a mining lease shall commence or carry out mining operations in any
Rule 11(1)	
	the Indian Bureau of Mines.
	In your case, It was observed during inspection that Mining Operations were being
	carried out without approved Mining Plan/Review of Mining Plan from 2015-16-
	128862.17T, 2016-17-111097T & 2017-18 till date. The last scheme of mining was
	approved vide this office letter no.682/(23)(701)/2009 dated 24/3/2010 for the period of
	2010-11 to 2014-15& presently mine is working without approved MP/MS.
Rule	The holder of a mining lease shall submit online returns in respect of each mine to
45(5)(b) &	the Regional Controller or any other authorised official of the Indian Bureau of
45(5)(c)	Mines in the following manner.
	(b) a monthly return which shall be submitted before the 10 <sup>th</sup> day of every month in
	respect of the preceding month in electronic form along with a signed print copy of
	the same if it is not digitally signed, in the prescribed form.
	In your case, you have not submitted the online monthly returns from 2011-12
	onwards to till date to this office. Therefore, you are directed to submit aforesaid
	return in online system immediately through <a href="https://www.ibm.gov.in/index.php/auth/login">www.ibm.gov.in/index.php/auth/login</a>
	& in annual return 2016-17, you have not reported the mineral rejects/sub grade mineral in
	opening & closing stock, even though it was stacked with in lease area of about 72,000T.
Rule 26(2)	A yearly report before 1 <sup>st</sup> July of every year setting forth the extent of protective and
	rehabilitation work carried out as envisaged in the approved progressive mine
	closure plan has not been submitted to this office.

- Rule 33 The owner, agent, mining engineer or manager of mine shall submit the digital copy along with a print copy of the Surface Geological plan & section on or before the 30<sup>th</sup> June of every year. In your case, you have not submitted the aforesaid updated plan & section maintained under rule 32 of MCDR, 2017to this office till date.
- 02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है तथा इन नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017के नियम 11 (2)/ 45(7) के अंतर्गत खदान की सारी संक्रियांए बंद की जा सकती है, और / या आपके विरूद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है,और / या राज्य सरकार से खदान की सारी संक्रियांए बंद करने और / या आपके विरूद्ध अभियोग दायर करने की सिफ़ारिश की जा सकती है |
- 03. अत: आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने की तिथि से <u>45 दिन</u> के भीतर उपरोक्त

नियमों के उल्लंघन की अनुपालना इस कार्यालय मेंदर्ज करावें I

भवदीय

(जी. राम) वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्युरो, गांधीनगर

पहले 1 प्रति पर नहीं है।

- 01. खान नियंत्रक(उ.आ.),भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 02. आयुक्त, भूविज्ञान एंव खनन ,निदेशालय , गुजरात को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 03. उप महानिदेशक (सांखिकी), खान एंव खनिज' प्रभाग,भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर को सूचनार्थ प्रेषित, यह पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर के अनुमोदन के बाद ही जारी किया जा रहा है।

(जी. राम) वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्युरो,गांधीनगर